प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

एम.ए.सी. क्रमांक 871/2013

आपीलार्थीगण दावेदार

1. फुलकुंवर बरगाह, आयु लगभग 44 वर्ष, स्वर्गीय सरजूराम।

2. बिगनराम, आयु लगभग 29 वर्ष, आत्मज स्वर्गीय सरजूराम।

3. सिगनराम, आयु लगभग 27 वर्ष, आत्मज स्वर्गीय सरजूराम के पुत्र।

4. राजकुमार, आयु लगभग 17 वर्ष, आत्मज स्वर्गीय सरजूराम।

(अपीलार्थी क्रमांक 4 अवयस्क, अपने नैसर्गिक अभिभावक अर्थात् माता अपीलार्थी क्रमांक 1 के माध्यम से)

सभी निवासी: ग्राम अमरपुर, पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यार्थीगण अनावेदक

1. सुरेश कुमार साहू, आयु लगभग 27 वर्ष आत्मज, श्री हरिराम साहू के पुत्र, निवासी ग्राम बुदार, पुलिस थाना-पटना, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

(मोटरसाइकिल क्रमांक सी जी16एफ/0429 का चालक)

2. श्यामलाल साहू, आत्मज श्री बंधन राम साहू, निवासी ग्राम जटासेमर, पोस्ट पतरपाली, पुलिस थाना-बैकुंठपुर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)।

(मोटरसाइकिल क्रमांक सी जी16एफ/0429 का स्वामी)

3. ब्रांच मैनेजर, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अम्बिकापुर,

द्वारा मंडल प्रबंधक डिवीजनल मैनेजर, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

राजेंद्र नगर चौक, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन अपील)

उपस्थित:

श्रीमती भगवती कश्यप, अपीलार्थीगण की अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

श्री दशरथ गुप्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

निर्णय

(27/09/2013)

1. इस अपील में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दावों के अधिकरण को धारा 166 मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दायर दावा याचिका को विवादकों के निपटान के पश्चात् व्यतिक्रम (गैर-उपस्थिति) के आधार पर खारिज करने का अधिकार है?

2. अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पेण्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.) (संक्षेप में "दावा अधिकरण") द्वारा दिनांक 30/07/2013 को एम.जे.सी. क्रमांक 09/2012 (फुलकुंवर एवं अन्य बनाम

सुरेश कुमार साहू एवं अन्य) में पारित आदेश की चुनौती देते हुए अपीलार्थी/दावेदारों ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "मो. वा. अधिनियम") की धारा 173 के अधीन यह अपील दायर की है, जिसके द्वारा दावेदारों की आवेदन-पत्र (आदेश 9 नियम 9 सहित धारा 151 सि.प्र.क्र.) को विहान दावा अधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था।

3. इस अपील के निर्णयार्थ आवश्यक तथ्य निम्नानुसार हैं:

3.1 अपीलार्थी/दावेदारों ने दावा अधिकरण के समक्ष स्वर्गीय सरजूराम (आयु लगभग 48 वर्ष) की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति का दावा याचिका दायर की थी। याचिका में यह कथन किया गया था कि दिनांक 19/08/2009 को प्रत्यर्थी/अनावेदक क्रमांक 1 ने मोटरसाइकिल क्रमांक सी जी 16 एफ 0429 को उतावलेपन उपेक्षापूर्वक चलाते हुए, जो प्रत्यर्थी/अनावेदक क्रमांक 2 की स्वामित्व वाली तथा प्रत्यर्थी/अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा बीमित थी, सरजूराम से टकरा दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दावेदारों ने संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से ₹ 50,49,600/- की क्षतिपूर्ति की मांग की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.2 प्रतिवादियों/आवेदकों ने लिखित कथन दाखिल कर दावे का विरोध किया। दावा याचिका को विवादकों के निपटान के पश्चात् अपीलार्थीगण/दावेदारों के अतिरिक्त साक्ष्य के लिए दिनांक 20/07/2011 को सूचीबद्ध किया गया था। उस दिन दावा अधिकरण ने अपीलार्थीगण/दावेदारों की ओर से कोई प्रतिनिधित्व न पाए जाने पर दावा याचिका को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया।

3.3 अपीलार्थी/दावेदारों ने दावा प्रकरण क्रमांक 19/2011 को पुनर्स्थापित करने हेतु आदेश 9 नियम 9 सहित धारा 151 सि.प्र.क्र. के अंतर्गत आवेदन दायर किया, जिसमें यह कथन किया गया कि उनके अधिवक्ता ने सुनवाई की तिथि 20/07/2011 को गलती से 20/08/2011 नोट

कर लिया था, जिसके फलस्वरूप दावेदारों के साक्षी एवं अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके। चूंकि अनुपस्थिति सद्भावनापूर्ण थी, इसलिए दावा याचिका को बहाल किया जाना चाहिए।

3.4 विद्वान दावा अधिकरण ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा बहाली आवेदन को यह पाते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थीगण/दावेदारों द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त नहीं हैं, और अपीलार्थी/दावेदार सुनवाई के समय उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण बताने में विफल रहे हैं; अतः, दावा याचिका को बहाल करने का कोई आधार नहीं है।

4. मैंने अपीलार्थीगण/दावेदारों की अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी/अनावेदक क्रमांक 3 के अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों पर विचार किया।

5. मध्य प्रदेश मोटर यान नियम, 1994 (संक्षेप में "1994 के नियम") दावा याचिका के विचारण की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। इस संदर्भ में मैं नियम 224, 230, 231, 234, 238 एवं 240 का उल्लेख कर जा सकता हूँ:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

*"**224. आवेदन का सारांश में खारिज करना —** दावा अधिकरण, नियम 223 के अंतर्गत अभ्यर्थी (आवेदक) के बयान को दर्ज करने के पश्चात् आवेदन तथा उक्त बयान पर विचार करने के उपरांत, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदन को **सारांश रूप से खारिज** कर सकता है, यदि दावा अधिकरण का यह समाधान हो कि उस पर आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।*

***परंतु** यह कि दावा अधिकरण धारा 140 के अंतर्गत प्रतिकर के लिए किए गए आवेदन को किसी भी **तकनीकी दोष** के आधार पर खारिज नहीं करेगा, बल्कि वह आवेदक को सूचना देगा और दोषों को सुधारने का अवसर प्रदान करेगा।*

230. विवादकों का निर्धारण *— (१) लिखित बयान या विपक्षी पक्ष की परीक्षा के परिणाम तथा स्थानीय जांच (यदि कोई हो) के परिणाम पर विचार करने के उपरांत, दावा अधिकरण विवादकों को तैयार करने की कार्यवाही करेगा।*

(२) विवादकों को तैयार करने के उपरांत, दावा अधिकरण उन विवादकों पर प्रत्येक पक्ष द्वारा उत्पादित किए जाने वाले साक्ष्यों को दर्ज करेगा।

231. साक्षियों का समन *— यदि दावा अधिकरण की कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा साक्षियों को समन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो दावा अधिकरण, संबंधित व्यय के भुगतान पर (यदि कोई व्यय हो), ऐसे साक्षियों के प्रकट होने के लिए समन जारी करेगा, जब तक कि वह यह समाधान न कर ले कि मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

234. सारांश परीक्षा की शक्ति *— (१) दावा अधिकरण, किसी निरीक्षण के दौरान या किसी अन्य समय पर, परंतु अपने समक्ष लंबित मामले की औपचारिक सुनवाई के समय को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति की सारांश रूप से परीक्षा कर सकता है, जो ऐसे मामले से संबंधित सूचना देने में समर्थ होने की संभावना रखता हो, चाहे वह व्यक्ति मामले में साक्षी के रूप में बुलाया गया हो या बुलाया जाने वाला हो या नहीं, तथा चाहे कोई या सभी पक्षकार उपस्थित हों या न हों।*

(२) उप-नियम (१) के अंतर्गत परीक्षित व्यक्ति को कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

(३) उप-नियम (१) के अंतर्गत परीक्षित व्यक्ति द्वारा किए गए कथन, यदि लेखबद्ध किए जाएं, तो कथन देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किए जाएंगे, न ही वे, इसके बाद प्रदान किए गए प्रावधानों के सिवाय, रिकॉर्ड में शामिल किए जाएंगे या दावा अधिकरण द्वारा मामले में निर्णय पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाएंगे।

(४) यदि उप-नियम (१) के अंतर्गत परीक्षित कोई साक्षी, साक्ष्य में कोई सारभूत कथन देता है जो उसके ऐसे परीक्षण में दिए गए और लेखबद्ध किए गए कथन से विरोधाभासी हो, तो दावा

अधिकरण उसका ध्यान ऐसे कथन की ओर दिला सकता है और उस स्थिति में निर्देश देगा कि पक्षकारों को ऐसे कथन का प्रासंगिक भाग उपलब्ध कराया जाए, ताकि साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

(५) उप-नियम (४) के अंतर्गत पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया कोई कथन या कथन का कोई भाग रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।

(६) जहां मामले का निपटारा पक्षकारों के बीच समझौते से हो जाता है, वहां दावा अधिकरण उप-नियम (१) के अंतर्गत किसी कथन को रिकॉर्ड में शामिल कर सकता है और ऐसे कथन का उपयोग समझौते को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के औचित्य को सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए कर सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

***238. मुआवजे का पुरस्कार** — (१) दावा अधिकरण आदेश पारित करते समय, तैयार किए गए प्रत्येक मुद्दे पर अपने निष्कर्षों को तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों को निर्णय में संक्षेप में अभिलिखित करेगा तथा एक पुरस्कार करेगा जिसमें बीमाकर्ताओं तथा वाहन के स्वामी द्वारा देय मुआवजे की राशि, जिसे दुर्घटना का कारण बनने के लिए आकस्मिक रूप से उत्तरदायी पाया गया हो, तथा वह व्यक्ति या व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट करेगा जिन्हें मुआवजा दिया जाना है।*

(२) जहां दो या अधिक व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान किया जाता है, वहां दावा अधिकरण प्रत्येक को देय राशि को भी निर्दिष्ट करेगा।

(३) दावा अधिकरण अपनी विवेकाधीन शक्ति से, अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही से संबंधित आनुषंगिक व्ययों के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

240. दावा अधिकरण द्वारा जांच आयोजित करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया — सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की कुछ प्रावधानों का लागू होना — अधिनियम या इन नियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित होने के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का वी) की प्रथम

अनुसूची के निम्नलिखित प्रावधान, अर्थात् आदेश V के नियम 9 से 13 और 15 से 20, आदेश IX, आदेश XVIII के नियम 3 से 10, आदेश XVI के नियम 2 से 21, आदेश XVII, आदेश XXI तथा आदेश XXIII के नियम 1 से 3, दावा अधिकरण के समक्ष की जाने वाली कार्यवाहियों पर, जहां तक वे उन पर लागू हो सकें, लागू होंगे।

6. उपर्युक्त नियमों के संयुक्त पाठ से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यद्यपि नियमों में दावा याचिका की संक्षिप्त खारिजी का प्रावधान है, किंतु यदि दावा याचिका संक्षिप्त रूप से खारिज नहीं की गई और कार्यवाही को बाद के नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया गया तथा मुद्दे विरचित कर दिए गए, तो दावा अधिकरण को विवादकों का निपटान करना चाहिए और नियमों में वर्णित अनुसार निर्णय में निष्कर्ष अंकित करना चाहिए। अधिनियम एवं नियम दावा अधिकरण पर यह कर्तव्य अधिरोपित करते हैं कि वह दावे की जांच करे, विवादकों का निपटान करे और निष्कर्ष अंकित करे – चाहे कोई भी पक्ष गैर-उपस्थित हो। विवादकों के निरूपण के पश्चात् दावा अधिकरण को व्यतिक्रम के आधार पर दावा याचिका खारिज करने या पुरस्कार देने से इनकार करने का अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **शिवशंकर एवं अन्य बनाम सरजीत सिंह एवं अन्य**[1](2001 एआईएचसी 1131) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसी प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि विवादकों के निपटान के पश्चात् दावा याचिका को व्यतिक्रम में खारिज करने का अधिकार दावा अधिकरण को नहीं है। व्यतिक्रम के आधार पर विवाद्यक विरचित करने के बाद खारिज किया जा सकता है। इस पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

7. उड़ीसा मोटर वाहन (दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण) नियम, 1960 और मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994 की तुलना करते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि न्यायाधिकरण के लिए विवादकों के निपटारे के बाद निर्णय पारित करना अनिवार्य है और उसे चूक के आधार पर दावा याचिका खारिज करने या निर्णय देने से इनकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

[1] 2001 ए आइ एच सी 1131

8. **रॉकी देव बर्मन बनाम लोहित प्रकाश दत्ता और अन्य**[2] के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है: -

3. इस न्यायालय का यह सर्वसम्मत मत रहा है, जैसा कि नंदलाल केडिया बनाम जसवंत सिंह और अन्य (1983) 2 जी.एल.आर. 253, शमशुल हुदा बनाम मेसर्स लंदन एंड लंकाशायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (ए.आई.आर. 1972 गौ. 35) और अकान चंद्र दास और अन्य बनाम मोहम्मद हुसैन और अन्य (2000 (1) जी.एल.टी. 186) में व्यक्त किया गया है, कि दावेदार की उपस्थिति में चूक मात्र के कारण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'एम.वी. अधिनियम') के प्रावधानों के तहत मुआवजे की मांग करने वाले दावे के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एम.वी. अधिनियम और/या उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को एम.वी. अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग करने वाले आवेदन को चूक के आधार पर खारिज करने की अनुमति या अधिकार देता हो। हालांकि, जब कोई दावेदार उपस्थित होने, आवश्यक कदम उठाने और/या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है और न्यायाधिकरण ऐसी विफलता के आधार पर यह पाता है कि जी.एल.टी. 186 के अनुसार, दावेदार की उपस्थिति में चूक मात्र के आधार पर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'एम.वी. अधिनियम') के प्रावधानों के तहत मुआवजे की मांग करने वाले दावे के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एम.वी. अधिनियम और/या इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को एम.वी. अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग करने वाले आवेदन को चूक के आधार पर खारिज करने की अनुमति या अधिकार देता हो। हालांकि, जब कोई दावेदार उपस्थित होने, आवश्यक कदम उठाने और/या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है और न्यायाधिकरण पाता है कि इस विफलता के आधार पर दावेदार मुआवजे के अपने दावे को पूरी तरह से साबित करने में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] [2006 (2) टी.ए.सी. 362 (गौ.)]

विफल रहा है, तो न्यायाधिकरण दावा-रहित पुरस्कार का उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा, अर्थात् ऐसा पुरस्कार जो यह दर्शाता हो कि दावेदार यह साबित करने में विफल रहा है कि वह किसी भी मुआवजे का हकदार है।

9. **युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर एवं अन्य** [3][2003 (II) डी.ऍम.पी 312 (इलाहाबाद)] के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी यही कहा कि नियम 206 के पश्चात् दावा याचिका को व्यतिक्रम में खारिज नहीं किया जा सकता।

7. उपरोक्त नियमों से यह स्पष्ट होता है कि दावा न्यायाधिकरण को एक बैठक आयोजित करके आवेदन पर निर्णय लेना होगा। यदि दावा याचिका को नियम 206 के तहत खारिज नहीं किया गया है, तो उसे चूक के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यदि दावेदार निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायाधिकरण दावे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है या आंशिक रूप से प्रस्तुत किया गया है, तो वह साक्ष्य की जांच कर सकता है और निर्णय दे सकता है। जहां साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, वहां न्यायाधिकरण अपर्याप्तता या साक्ष्य की कमी के आधार पर मामले का निर्णय कर सकता है, लेकिन नियम 206 के चरण से आगे बढ़ने के बाद, वह केवल इस आधार पर इसे खारिज नहीं कर सकता है कि निर्धारित तिथि पर दावेदार उपस्थित नहीं था या नियम 206 के चरण में, इसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि निर्धारित तिथि पर दावेदार या दावेदार उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

10. बहाली आवेदन की बहाली के प्रश्न के संबंध में, यह शक्ति धारा 151, सी.पी.सी. के अंतर्गत पाई जा सकती है और अधिनियम के उन प्रावधानों में भी इसका उल्लेख है, जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को एक विशेष न्यायाधिकरण के रूप में स्थापित करते हैं, ताकि उन उपायों को लागू किया जा सके जो पहले अपकृत्यों पर आधारित मुआवजे की कार्रवाई में निहित थे। इस

[3] [2003 (II) डी.ऍम.पी 312 (इलाहाबाद)],

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नए मंच का गठन दुर्घटना पीड़ितों या उनके आश्रितों को शीघ्र और सरलीकृत तरीके से मुआवजा प्रदान करने और हानि एवं व्यय के लिए प्रावधान करने हेतु किया गया था। 'दोषरहित दायित्व' और 'हिट एंड रन' मामलों के लिए नए उपाय तत्काल मुआवजे की असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए या उन मामलों में जहां वाहन के लापरवाह मालिक या चालक की पहचान नहीं हो पाई है, जोड़े गए थे। दावेदार या दावेदार के आश्रित को अक्सर उपाय प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए, यह अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा जहां प्रथम दृष्टया विचार के लिए वैध पाए गए दावे को चूक के कारण खारिज कर दिया जाए और उसके बाद बहाली या बहाली की बहाली के उपाय को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया जाए। यहां तक कि पुलिस रिपोर्ट को भी एक आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए, और दायर किए गए प्रत्येक आवेदन की न्यायाधिकरण द्वारा जांच और निर्णय किया जाना चाहिए। यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत न हो, तो न्यायाधिकरण दावे को खारिज कर सकता है, लेकिन वह चूक के आधार पर दावे को खारिज नहीं कर सकता। यदि दावा खारिज कर दिया गया है, तो उसे उस तिथि से दायर माना जाएगा जिस तिथि से आवेदन किया गया है, क्योंकि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 ऑफ 1988) की धारा 168 की उपधारा (3) को हटाए जाने के बाद परिसीमा का कोई प्रावधान नहीं है। नन्ही बाई के मामले (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय पुराने अधिनियम के अंतर्गत था और इसलिए वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अतः, उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में, दावा न्यायाधिकरण ने पहले ही मुद्दे निर्धारित कर लिए हैं और अपीलकर्ताओं/दावेदारों ने अपने एक गवाह की जांच भी कर ली है तथा मामले को आगे की साक्ष्य सुनवाई के लिए 20/07/2011 को निर्धारित किया गया था, अतः दावा न्यायाधिकरण ऐसा नहीं कर सकता था अपीलकर्ताओं/दावेदारों की अनुपस्थिति के कारण दावा याचिका खारिज कर दी गई है। 1994 के नियमों और ऊपर वर्णित कानून के अनुसार, दावा याचिका को खारिज करना विधिवत रूप से गलत है।

11. अब मैं अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा दायर बहाली आवेदन की अस्वीकृति पर विचार करूंगा। यह सर्वविदित तथ्य है कि अपीलकर्ता/दावेदार स्वर्गीय श्री सरजुराम की विधवा और पुत्र हैं, जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने दावे के मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक वकील नियुक्त किया है और वे पूरी ईमानदारी से अपना मामला लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके एक गवाह [एसईसीएल कर्मचारी], जहां मृतक कार्यरत थे, की पहले ही गवाही हो चुकी है। विवादकों के निपटारे के बाद, मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20/07/2011 को निर्धारित किया गया था। यह सच है कि अपीलकर्ता/दावेदार और उनके वकील सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो सके और उसके बाद, उन्होंने दावा न्यायाधिकरण के समक्ष बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि उनके अधिवक्ता श्री एन. पी. चंद्रवंशी ने अपनी डायरी में सुनवाई की तारीख 20/07/2011 के बजाय 20/08/2011 गलत तरीके से दर्ज की है और उन्होंने अपने अधिवक्ता श्री एन. पी. चंद्रवंशी का हलफनामा भी दायर किया है। दावा न्यायाधिकरण ने बहाली के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है, बताए गए कारण पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किए बिना, विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है और बहाली के लिए आवेदन अपीलकर्ता/दावेदार के वकील के हलफनामे के साथ तुरंत दायर किया गया था। उन्होंने अपनी डायरी में 20/07/2011 के स्थान पर 20/08/2011 दर्ज किया और अपने अधिवक्ता श्री एन.पी. चंद्रवंशी का हलफनामा दाखिल किया। दावा न्यायाधिकरण ने बहाली के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है, जबकि बताए गए कारण पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया, विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है और बहाली के लिए आवेदन अपीलकर्ता/दावेदार के वकील के हलफनामे के साथ तुरंत दायर किया गया था और अपीलकर्ताओं/दावेदारों का शपथ पर दिया गया बयान निर्विवाद रहा, इस प्रकार, सुनवाई की तारीख पर उपस्थित न होने के लिए पर्याप्त कारण बताया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. **महेंद्र राठौर बनाम ओंकार सिंह एवं अन्य** [4](एआईआर 2002 एससी 505) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं अप्रतिवादित शपथ-पत्र होने पर दावा याचिका को पुनर्स्थापित करना चाहिए। न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, न कि तकनीकी या पेडेंटिक।

4.इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी राय में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को दिनांक 27.1.98 के दावा याचिका खारिज करने के आदेश को रद्द कर देना चाहिए था और याचिका को उसके मूल स्वरूप में बहाल कर देना चाहिए था, साथ ही बहाली के लिए आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर देना चाहिए था। आवेदन के साथ एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी संलग्न था जिसमें आवेदक के सुनवाई की तिथि को बीमार होने की बात कही गई थी। आवेदक का स्वयं का शपथ पर दिया गया बयान निर्विवाद रहा। ऐसे मामलों में न्यायालयों से न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाने की अपेक्षा की जाती है, न कि अत्यधिक तकनीकी या पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की, विशेषकर तब जब सुनवाई के लिए बहाल किया जाने वाला आवेदन मोटर दुर्घटना से संबंधित दावा मामला हो। न्यायाधिकरण द्वारा दावा याचिका को बहाल करने से इनकार करना और साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के प्रति नरमी दिखाना न्याय का उल्लंघन है। न्यायाधिकरण न्याय के हित में पक्षों को समझौता करने के लिए कह सकता था, लेकिन उसे दावा याचिका को बहाल करने से इनकार नहीं करना चाहिए था। हम तदनुसार इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय तथा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के दिनांक 27.1.1998 के विवादित आदेश को रद्द करते हैं। दावा याचिका को उसके मूल क्रमांक पर बहाल किया जाता है और न्यायाधिकरण को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए वापस भेजा जाता है। इसके बाद की कार्यवाही उस चरण से प्रारंभ होगी, जिस चरण में यह 27.1.1998 को थी, जब उपस्थित न होने के कारण दावा याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायाधिकरण याचिका का शीघ्र निपटारा करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[4] एआईआर 2002 एससी 505

13. अतः, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में, अपीलार्थीगण/दावेदारों द्वारा अनुपस्थिति के लिए बताए गए कारण अखण्डनीय रहे, दावा अधिकरण को दावा याचिका को उसकी मूल फाइल में बहाल कर देना चाहिए था क्योंकि विवादकों के निपटारे के बाद दावा अधिकरण को दावा याचिका खारिज करने का कोई आधिकारिता नहीं है। इस प्रकार, दावा अधिकरण ने दावा याचिका को व्यतिक्रम रूप से खारिज करके अवैधता की है और अपीलार्थीगण/दावेदारों द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने के बावजूद दावा याचिका को बहाल न करके भी अवैधता की है।

14. परिणामस्वरूप, दावा अधिकरण द्वारा दावा याचिका को व्यतिक्रम में खारिज करने वाला आदेश तथा दिनांक 30/07/2013 को एम.जे.सी. क्रमांक 09/2012 में पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पेण्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.) का दावा प्रकरण क्रमांक 19/2011 (फुलकुंवर बरगाह एवं अन्य बनाम सुरेश कुमार साहू एवं अन्य) अपने मूल क्रमांक पर पुनर्स्थापित किया जाता है। संबंधित दावा अधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह दावा याचिका का शीघ्रतम निर्णय करे, अधिमानतः 6 माह के भीतर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
संजय के.अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ------------------ Shriya Jaiswal